छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /10/2026

क्रमांक ESTB-1024/1709/20-2 **:::** राज्य शासन एतद द्वारा श्री एल.पी.डाहिरे तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुंगेली (वर्तमान में सहायक संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर) को पेंशन प्रकरणों में लापरवाही, न्यायालयीन निर्देशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

2/ निलंबन अवधि में श्री डाहिरे का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बिलासपुर नियत किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोंड़ेंगे।

3/ निलंबन अवधि में श्री डाहिरे को मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसर,

Digitally signed by
NICODIMUS EKKA
Date: 30-10-2026
16:56:31

(निकोदिमुस एक्का)
अवर सचिव
छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक ESTB-1024/1709/20-2, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /10/2026

प्रतिलिपि:-
1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर। कृपया श्री डाहिरे के विरूद्ध **आरोप पत्रादि (आरोप, अभिकथन, अभिलेख एवं गवाहो की सूची) का प्रारूप 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से इस विभाग को उपलब्ध** कराने का कष्ट करें, ताकि समय-सीमा में आरोप पत्र जारी किया जा सके।
3. कलेक्टर, जिला-मुंगेली/बिलासपुर छ0ग0।
4. संयुक्त संचालक, संभागीय (शिक्षा) बिलासपुर छ0ग0।

.....02

5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-मुंगेली/बिलासपुर, छ0ग0।
6. संबंधित श्री एल.पी.डाहिरे, तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-मुगेली, (वर्तमान में सहायक संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर) छ0ग0।
द्वारा संचालक, लोक शिक्षण इन्द्रवती भवन नवा रायपुर।
7. आदेश फोल्डर।